बालक न्यायालय (सेशन न्यायाधीश), बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : **संदीप कुमार शर्मा,**आर.जे.एस.

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निर्णय दिनांक- 04.05.2026

सेशन प्रकरण संख्या (सी.आई.एस. नंबर)-142/2024

राजस्थान राज्य बनाम सत्यनारायण

अपराध अंतर्गत 75, 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

भाग प्रथम

A

परिवादी	अनिता वर्मा पुत्री रामसहाय वर्मा, उम्र 36 वर्ष, निवासी म.नं. 158 श्रीनाथपुरम कोटा हाल प्रभारी मानव तस्करी विरोधी यूनिट जिला बून्दी (राजस्थान)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक
अभियुक्त का नाम व पता	सत्यनारायण पुत्र गोपाल निवासी छत्रपुरा इन्द्रगढ़, पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)
उपस्थित	1. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से, 2. श्री बालकिशन रायका एवं श्री जितेन्द्र कुमार जैन, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

संदर्भित दिनांकों का विवरण

B

अपराध की दिनांक	18.03.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	18.03.2020
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	25.02.2021
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	15.10.2024
अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ होने की दिनांक	16.12.2024
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	04.05.2026

Authenticated Document

निर्णय दिनांक	04.05.2026
दण्डादेश की दिनांक	-

अभियुक्त/अभियुक्तगण की सूचना

C

क्र.सं	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	विचारण के दौरान् अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1	सत्यनारायण	25.02.2021 (नोटिस 41A Cr.P.C. की पालना में)	25.02.2021	75, 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015	**दोषमुक्त**	-	-

भाग द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ-अभियोजन साक्षीगण

रैंक	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद, पुलिस, विशेषज्ञ, चिकित्सीय, पंच एवं अन्य)
पी.डब्ल्यू.01	रामनारायण	ताईद बयान धारा 161 द.प्र.सं., फर्द नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू.02	अनिता वर्मा	ताईद एफ.आई.आर.
पी.डब्ल्यू.03	मंगल	ताईद बयान धारा 161 द.प्र.सं.
पी.डब्ल्यू.04	संजय कुमार	ताईद बयान धारा 161 द.प्र.सं., फर्द नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू.05	मनोज कुमार	चार्जशीट कता करने का साक्षी
पी.डब्ल्यू.06	हरिराज	अनुसंधान साक्षी
पी.डब्ल्यू.07	सुरेश चौधरी	ताईद बयान धारा 161 द.प्र.सं.
पी.डब्ल्यू.08	बन्शीलाल	एफ.आई.आर. कता करने का साक्षी

ब-प्रतिरक्षा साक्षीगण

रैंक	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद, पुलिस, विशेषज्ञ, चिकित्सीय, पंच एवं अन्य)
-	-	-

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ-अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
1	प्रदर्श पी-1	नक्शा मौका
2	प्रदर्श पी-2	दस्तायाबी बालक मनीष व राहुल
3	प्रदर्श पी-3	फर्द फोटोग्राफी
4	प्रदर्श पी-4	परिवाद
5	प्रदर्श पी-5	प्रमाण पत्र धारा 65 बी
6	प्रदर्श पी-6	जन्म प्रमाण पत्र राहुल
7	प्रदर्श पी-7	एस.आर. रजिस्टर राहुल
8	प्रदर्श पी-8	प्रवेश फर्म राहुल
9	प्रदर्श पी-9	जन्म प्रमाण पत्र मनीष
10	प्रदर्श पी-10	एस.आर. रजिस्टर मनीष
11	प्रदर्श पी-11	प्रवेश फर्म मनीष
12	प्रदर्श पी-12	वाहन लॉगबुक प्रति
13	प्रदर्श पी-13	फर्द जब्ती सी.डी.
14	प्रदर्श पी-14	चाक एफ.आई.आर.

ब-बचाव प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
1	प्रदर्श डी-1	पुलिस बयान रामनारायण
2	प्रदर्श डी-2	पुलिस बयान मंगल
3	प्रदर्श डी-3	पुलिस बयान संजय

नि र्ण य **दिनांक 04.05.2026**

1. संक्षेप में अभियोजन मामला इस प्रकार है कि दिनांक 18.03.2020 को मानव तस्करी विरोधी यूनिट, बून्दी की प्रभारी अनिता वर्मा ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 18.03.2020 को समय करीब 7.00 ए.एम. पर बड़ चौराहा विजय ओटो इलेक्ट्रिक सेन्टर पर बालश्रम की कार्यवाही करते हुए माताजी रोड़, इन्द्रगढ़ शिव भोजनालय पहुंचे, तो ढाबे पर दो बालक बालश्रम करते हुए नजर आये। उसने संजय कानि.851 को फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी हेतु भेजा। बाद वीडियोग्राफी उसके द्वारा बाल श्रमिकों से उनका नाम पता पूछा तो एक बालक ने अपना नाम

मनीष उम्र करीब 14-15 वर्ष व दूसरे ने अपना नाम राहुल उम्र करीब 10-11 वर्ष होना बताया। बालकों ने बताया कि उनकी स्कूल की छुट्टियों होने से वे दोनों शिव भोजनालय पर मजदूरी करने के लिए 10-15 दिन पहले आये थे। शिव भोजनालय का मालिक सत्यनारायण उनको 50/-रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी देता है। वे दोनों उक्त ढाबे पर ग्राहकों को खाना परोसने, ग्राहकों को बुलाने व साफ सफाई का काम करते हैं व कभी गल्ले पर बैठ जाते हैं। दोनों सुबह 7.00 बजे मजदूरी करने आते हैं तथा शाम को 9.00 बजे घर चले जाते हैं और खाना ढाबे पर ही खाते हैं। भोजनालय मालिक से बच्चों के उम्र से संबंधित दस्तावेज व हाजिरी रजिस्टर चाहा गया तो किसी भी तरह का दस्तावेज होना नहीं बताया।

2. इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में अभियोग संख्या-57/2020 अन्तर्गत धारा 75 व 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा आवश्यक सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध धारा 75 व 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उपरोक्त धाराओं में आरोप-पत्र विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से यह प्रकरण उपार्पित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

3. तत्पश्चात् दिनांक 15.10.2024 को अभियुक्त सत्यनारायण के विरुद्ध धारा 75 व 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन दण्डनीय अपराधों के सन्दर्भ में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये एवं समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिये पृष्ठ संख्या 02 व 03 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये एवं दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

5. अभियोजन साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के उपरान्त अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए कथन किया कि वह दोनों नाबालिग बच्चों को

Authenticated Document

नहीं जानता है, न ही उसके यहां मजदूरी का काम करते थे। वह ढाबा चलाता है, ढाबे पर कई लोग खाना खाने आये थे। उसने उनकी आई.डी. नहीं ली, न ही किसी ग्राहक का नाम पूछकर भोजन कराता है। उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा किया है तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया।

6. उभयपक्ष की बहस अन्तिम सुनी गई एवं पत्रावली का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया गया।

7. बहस के दौरान अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 75 व 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित हैं। उनका कहना है कि परिवादी द्वारा जो रिपोर्ट पंजीबद्ध करवाई गई थी, उसकी सम्पुष्टि न्यायालय में दिये गये कथनों से होती है तथा अन्य अभियोजन साक्षीगण ने भी समर्थनकारी साक्ष्य प्रस्तुत की है। प्रस्तुत अभियोजन साक्षीगण के कथनों में ऐसे कोई गम्भीर विरोधाभास प्रकट नहीं हुये हैं, जिससे घटना को झूठा माना जा सके, इसलिए अभियुक्त के विरूद्ध यह सन्देह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने दिनांक 18.03.2020 को उसके स्वामित्व के शिव भोजनालय में अवयस्क बालक मनीष व राहुल को भोजनालय पर ग्राहकों को खाना परोसने, बुलाने, साफ सफाई कराने व बर्तन साफ करने आदि कार्यों के लिए नियोजित कर उनका शारीरिक व मानसिक रूप से शोषण कर क्रूरता कारित की एवं प्रतिदिन सुबह 7:00 ए.एम. से 9:00 पी.एम. तक तक कार्य करने के लिए 50/-रुपये प्रतिदिन मजदूरी देकर उनसे बालश्रम करवाया। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों के लिये दोषसिद्ध किया जावे।

8. इसके विपरीत अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन के उक्त तर्को का पुरजोर शब्दों में खण्डन करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध किसी प्रकार युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित नहीं हैं । उनका कहना है कि इस प्रकरण के दोनों बाल श्रमिक मनीष व राहुल को अभियोजन पक्ष द्वारा न तो साक्ष्य सूची में रखा गया है और न ही इस न्यायालय के समक्ष उनका परीक्षण करवाया गया है, जिससे अभियोजन की

Authenticated Document

ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का समर्थन नहीं हो सका है, जबकि उक्त बाल श्रमिक मनीष एवं राहुल इस प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण साक्षी थे। उनका यह भी कहना है कि शिव भोजनालय का मालिक अभियुक्त सत्यनारायण ही हो, इस सम्बन्ध में भी अभियोजन का कोई अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही किसी स्वतंत्र साक्षी के ही कथन लेखबद्ध करवाये गये हैं। अभियोजन की ओर से जिन अभियोजन साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करवाये गये हैं, वे सभी पुलिस साक्षीगण होकर हितबद्ध साक्षीगण के रूप में रहे हैं तथा उनकी साक्ष्य में भी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गम्भीर एवं तात्विक विरोधाभास प्रकट हुआ है। इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन की ऐसी कोई सकारात्मक एवं सुदृढ़ साक्ष्य नहीं है, जिससे अभियुक्त को आरोपित अपराधों से सम्बद्ध किया जा सके। अन्ततः इन परिस्थितियों में अभियुक्त को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

9. उभय पक्ष के तर्को पर विचारपूर्वक मनन किया गया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया गया।

10. तदन्तर, इस मामले के सही एवं न्यायपूर्ण निर्णय के लिये इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.03.2020 को 1:30 पी.एम. या उसके लगभग माताजी रोड़ पर स्थित उसके स्वामित्व के शिव भोजनालय में अवयस्क बालक मनीष उम्र 14-15 वर्ष व राहुल उम्र 14-15 वर्ष को खाना परोसने, ग्राहकों को बुलाने व साफ-सफाई के कार्यों में यह जानते हुए कि उक्त बालक नाबालिग है, नियोजित कर उनका शारीरिक व मानसिक रूप से शोषण कर क्रूरता कारित की एवं प्रतिदिन सुबह 7:00 ए.एम. से 9:00 पी.एम. तक तक कार्य करने के लिए 50/-रूपये प्रतिदिन मजदूरी देकर उनसे बालश्रम करवाया ?

यदि हॉं, तो अभियुक्त किस दण्ड का भागी होगा ?

11. उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण का प्रादुर्भाव मानव तस्करी विरोधी यूनिट, बून्दी की प्रभारी अनिता वर्मा द्वारा पुलिस थाना इन्द्रगढ़ पर प्रस्तुत इस आशय की रिपोर्ट के आधार पर हुआ है कि दिनांक 18.03.2020

Authenticated Document

को समय करीब 7 ए.एम. पर वह बालश्रम की कार्यवाही हेतु मय जाप्ता बड़ चौराहा विजय ओटो इलेक्ट्रिक सेन्टर पर होते हुए माताजी रोड़, इन्द्रगढ़ शिव भोजनालय पहुंचे तो ढाबे पर दो बालक बालश्रम करते हुए नजर आये। उसने संजय कानि.851 को फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी हेतु भेजा तथा बाद वीडियोग्राफी उसके द्वारा बालकों से अपना नाम पूछा तो एक बालक ने अपना नाम मनीष उम्र 14-15 वर्ष करीब व दूसरे ने अपना नाम राहुल उम्र 10-11 वर्ष करीब होना बताया। बालकों ने बताया कि उनकी स्कूल की छुट्टियों होने से वे दोनों शिव भोजनालय पर मजदूरी करने के लिए 10-15 दिन पहले आये थे। शिव भोजनालय का मालिक सत्यनारायण उनको 50/-रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी देता है। वे दोनों उक्त ढाबे पर ग्राहकों को खाना परोसने, ग्राहकों को बुलाने व साफ सफाई का काम करते हैं व कभी गल्ले पर बैठ जाते हैं। दोनों सुबह 7.00 बजे मजदूर करने आते हैं तथा शाम को 9.00 बजे घर चले जाते हैं और खाना ढाबे पर ही खाते हैं। भोजनालय मालिक से बच्चों के उम्र से संबंधित दस्तावेज व हाजिरी रजिस्टर चाहा गया तो किसी भी तरह का दस्तावेज होना नहीं बताया।

12. उक्त सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य का अवलोकन करें तो इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण एवं तारांकित साक्षी पी.डब्ल्यू.-2 अनिता है, जो प्रकरण की परिवादिया भी रही है, ने अपने सशपथ कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 18.03.2020 को मानव तस्करी विरोधी यूनिट बून्दी में यूनिट प्रभारी के पद पर कार्यरत थी। उस दिन मय जाप्ते के इन्द्रगढ़ पहुंचने पर बड तिराहा पर बाल श्रम की कार्यवाही करते हुए आगे गये तो माताजी रोड़ पर शिव भोजनालय पर दो बाल श्रमिक बाल श्रम करते हुए नजर आये। इस पर उसके द्वारा संजय कानिस्टेबल को वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी करने के लिए रवाना किया। बाद वीडियोग्राफी उसने वहां पर सादा वस्त्रों में जाकर अपना परिचय दिया तथा वहां उपस्थित दोनों बालकों से नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम मनीष पुत्र भंवरलाल उम्र 15-16 वर्ष निवासी मोहनपुरा इन्द्रगढ़ तथा दूसरे बालक ने अपना नाम राहुल पुत्र छोटूलाल उम्र 10-11 वर्ष निवासी मोहनपुरा इन्द्रगढ होना बताया। पूछताछ करने पर दोनों बालकों ने स्कूल की छुट्टी होना तथा 10-15 दिन से कार्य करना बताया। उन्होंने बताया कि वे सुबह 7.00 शिव भोजनालय पर आते है और रात के

Authenticated Document

9.00 बजे घर जाते हैं तथा मालिक उन्हें 50/-रूपये प्रतिदिन कार्य करने के देता है तथा कभी देना व कभी नहीं देना बताया तथा उनके द्वारा खाना शिव भोजनालय में ही खाना बताया। उनके द्वारा शिव भोजनालय पर साफ सफाई करना, ग्राहकों को बुलाना व खाना परोसना, गल्ले पर बैठना आदि कार्य करना बताया। ढाबा मालिक सत्यनारायण से बालकों की उम्र सम्बन्धी दस्तावेज व हाजिरी रजिस्टर चाहे तो नहीं होना बताया। दोनों बालकों की दस्तयाबी हेतु स्वतंत्र गवाह लाने हेतु संजय कांस्टेबल को भेजा, जिसने कुछ समय बाद आकर बताया कि कोई स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं है, जिस पर जाप्ते में से संजय कुमार व मंगल कानिस्टेबल को गवाह मामूर कर दोनों बालकों को दस्तयाब किया गया तथा बाल कल्याण समिति बून्दी में पुर्नवास हेतु पेश किया। नक्शा मौका प्रदर्श पी-1, फर्द दस्तयाबी मनीष व राहुल प्रदर्श पी-2, फर्द वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी प्रदर्श पी-3, परिवाद प्रदर्श पी-4, धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13. इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस कथन को सही होना स्वीकार किया है कि मूवमेंट रजिस्टर व उसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली में पेश नहीं है। यह कहना सही है कि सरकारी वाहन की लॉगबुक की प्रमाणित प्रति में वाहन के नम्बर का अंकन नहीं है। शिव भोजनालय इन्द्रगढ़ का मालिक सत्यनारायण हो, इससे सम्बन्धित दस्तावेज उसके द्वारा पत्रावली में पेश नहीं किया गया है, क्योंकि सत्यनारायण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज उसे नहीं दिया गया था। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि आई.ओ. ने सत्यनारायण से शिव भोजनालय के मालिकाना सम्बन्धित दस्तावेज मांगे थे या नहीं। शिव भोजनालय के आसपास में रेदास जूते चप्पलों की दुकान, दूसरी तरफ जूस की दुकान है। उक्त दोनों दुकान मालिकों को उसने गवाह नहीं बनाया था। यह कहना सही है कि उसने स्वतंत्र गवाह बुलाने के लिए नोटिस नहीं दिया था।

14. अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.-1 रामनारायण, पी.डब्ल्यू.-3 मंगल, पी.डब्ल्यू.-4 संजय कुमार एवं पी.डब्ल्यू-7 सुरेश, परिवादिया अनिता पी.डब्ल्यू-2 के साथ मानव तस्करी विरोधी यूनिट के जाप्ते के रूप में सदस्य रहे हैं, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष अपने-अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि वे दिनांक 18.03.2020 को अनिता पुलिस निरीक्षक प्रभारी मानव तस्करी विरोधी यूनिट, बून्दी के साथ विजय ऑटो इलेक्ट्रिक सेंटर इन्द्रगढ पहुंचे। वहां

Authenticated Document

कार्यवाही के बाद शिव भोजनालय माताजी रोड़ पहुंचे तो वहां पर दो बाल श्रमिक काम करते हुए नजर आये, जिनमें से एक ने अपना नाम मनीष उम्र करीब 14-15 वर्ष होना बताया तथा दूसरे ने अपना नाम राहुल उम्र करीब 10-11 वर्ष होना बताया तथा शिव भोजनालय का मालिक सत्यनारायण होना बताया। दोनों बाल श्रमिकों ने बताया कि स्कूल की छुट्टियां होने से वे 10-15 दिन से भोजनालय पर काम करने के लिए आये हुए हैं तथा भोजनालय का मालिक सत्यनारायण उन्हें 50/-रूपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी देता है, कभी मजदूरी देता है, कभी मजदूरी नहीं देता है। दोनों बाल श्रमिकों ने बताया कि वे दोनों ढाबे पर ग्राहकों को खाना परोसना, बुलाना व साफ-सफाई का काम करते हैं और दोनों सुबह 7.00 बजे मजदूरी करने आते हैं और रात को 9.00 बजे घर जाते हैं। भोजनालय के मालिक सत्यनारायण से बालकों की उम्र व हाजरी से सम्बन्धित रजिस्टर मांगे तो उसने कोई भी दस्तावेज नहीं होना बताया। साक्षी रामनारायण ने नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी-1 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना व्यक्त किया है। साक्षी मंगल व संजय कुमार ने यह भी साक्ष्य दी है कि बाल श्रमिक मनीष व राहुल की फर्द चैकिंग व दस्तयाबी प्रदर्श पी-2 व फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साथ ही साक्षी पी.डब्ल्यू-4 संजय कुमार ने नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना अभिकथित किया है।

15. अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू-1 रामनारायण ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह व्यक्त किया है कि उसने वीडियोग्राफी नहीं की थी। शिव भोजनालय सत्यनारायण के स्वामित्व का हो, इस बाबत प्रभारी अधिकारी व उनकी टीम ने स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज नहीं लिए थे। इस कथन को गलत होना बताया है कि उसने सत्यनारायण को शिव भोजनालय पर बैठा हुआ नहीं देखा हो। यह कहना सही है कि ऐसा कोई फोटोग्राफ्स पत्रावली में नहीं है, जिसमें शिव भोजनालय पर सत्यनारायण बैठा हो। इस फाइल में लिए गये फोटोग्राफ्स नहीं हैं। वह शिव भोजनालय में उस समय अन्दर नहीं गया था। यह कहना सही है कि उसके सामने सत्यनारायण ने उक्त दोनों बालकों को नहीं डांटा था।

16. अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू-3 मंगल ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसे व संजय कुमार कानिस्टेबल को प्रभारी अनिता वर्मा ने फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करने के लिए भेजा था। यह कहना सही

Authenticated Document

है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी-2 में यूनिट प्रभारी अनिता द्वारा संजय कानि. को फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करने के लिए भेजे जाने का कथन अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि उसके सामने ढाबा मालिक सत्यनारायण द्वारा उक्त दोनों बालकों से कोई मारपीट नहीं की गई थी। यह कहना सही है कि शिव भोजनालय में काफी भीड रहती है, वहां पर चौराहा है एवं काफी लोगों की आवाजाही रहती है। शिव भोजनालय का मालिक सत्यनारायण हो, इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज नहीं लिये थे।

17. अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू-4 संजय कुमार ने अपने प्रतिपरीक्षण में साक्ष्य दी है कि शिव भोजनालय में भीड-भाड रहती है। यह कहना सही है कि उनके सामने भोजनालय मालिक सत्यनारायण द्वारा बाल श्रमिक राहुल व मनीष के साथ मारपीट, गाली गलौच नहीं की जा रही थी। शिव भोजनालय का मालिक दुकान पर वक्त घटना था या नहीं, उसे याद नहीं है। वक्त घटना बाल श्रमिकों द्वारा ढाबा मालिक सत्यनारायण होना बताया था। शिव भोजनालय का मालिक सत्यनारायण हो, इससे सम्बन्धित दस्तावेज उन्होंने प्राप्त नहीं किए थे। यह कहना सही है कि उससे अनिता वर्मा द्वारा धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र नहीं लिया था। यह कहना सही है कि उसने अपना वीडियोग्राफी किये जाने वाला मोबाईल आई.ओ. को नहीं दिया था।

18. अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू-7 सुरेश ने अपने प्रतिपरीक्षण में साक्ष्य दी है कि शिव भोजनालय का मालिक कौन है, इस बाबत उसके सामने कोई दस्तावेज यूनिट प्रभारी या उनके जाप्ते में किसी ने नहीं लिए थे। यह कहना सही है कि उसके सामने दोनों बाल श्रमिकों के साथ मारपीट नहीं की गई, न ही उनको बंधक बनाया गया और न ही उनका शारीरिक शोषण किया गया। यह कहना सही है कि शिव भोजनालय के आसपास दुकानें हैं और वहां भीड लगी रहती है।

19. अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.-5 मनोज कुमार ने अपने सशपथ कथन के मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 21.09.2020 को थाना इन्द्रगढ में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन अभियोग संख्या 57/2020 में अनुसंधान पत्रावली बाद अनुसंधान उसके समक्ष प्रस्तुत हुई। अनुसंधान से मुलजिम सत्यनारायाण के विरूद्ध धारा 75, 79 जे.जे. एक्ट के तहत अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चालानी आदेश प्राप्त कर चार्जशीट

Authenticated Document

न्यायालय में पेश की गई।

20. इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार व्यक्त किया है कि उसने इस प्रकरण में अनुसंधान नहीं किया था। उसे याद नहीं है कि दोनों नाबालिग व उनके माता पिता को अनुसंधान अधिकारी ने गवाह बनाया अथवा नहीं।

21. अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.-6 हरिराज सिंह ने अपने सशपथ कथन के मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 18.03.2020 को थाना इन्द्रगढ़ में ए.एस.आई. के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नम्बर 57/2020 की अनुसंधान पत्रावली उसे अनुसंधान हेतु सुपुर्द हुई थी। अनुसंधान पत्रावली में फर्द चैकिंग एवं दस्तयाबी प्रदर्श पी-72, फर्द फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी प्रदर्श पी-3, तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी-4, धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-5 शामिल पत्रावली मिले। अनुसंधान के दौरान उसके द्वारा गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये। गवाह संजय कुमार व रामनारायण की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 तैयार किया गया। नाबालिग राहुल के जन्म प्रमाण पत्र, एसआर रजिस्टर एवं प्रवेश फॉर्म की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदर्श पी-6, 7 व 8 विद्यालय से प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये। इसी प्रकार बालक मनीष के जन्म प्रमाण पत्र, एसआर रजिस्टर एवं प्रवेश फॉर्म की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदर्श पी-9, 10 व 11 विद्यालय से प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में जांच दल के वाहन की लॉगबुक की प्रतिलिपि प्रदर्श पी-12 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। वीडियोग्राफी/ फोटोग्राफी की सीडी प्रदर्श पी-13 है। बाद अनुसंधान मुलजिम सत्यनारायण पुत्र गोपाल निवासी छत्रपुरा थाना इन्द्रगढ के विरूद्ध धारा 75, 79 जे.जे. एक्ट के तहत आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र कता करने हेतु अनुसंधान पत्रावली थानाधिकारी के सुपुर्द की ।

22. इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह व्यक्त किया है कि उसके द्वारा मुकदमा पंजीबद्ध नहीं किया गया था। मुताबिक नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 आसपास की दुकान वालों के कोई बयान नहीं लिए थे। यह सही है कि एस.आर. रजिस्टर के साथ किसी संस्था द्वारा जारी किया गया नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

23. अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.-8 बंशीलाल ने अपने सशपथ कथन के

Authenticated Document

मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 18.03.2020 को वह थाना इन्द्रगढ़ पर प्रभारी थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन ए.एच.टी.यू. की प्रभारी अनिता वर्मा ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 पेश की थी, जिस पर उसके द्वारा मुकदमा संख्या 57/2020 दर्ज कर अनुसंधान हरिराज सिंह ए.एस.आई. को सुपुर्द किया। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-14 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

24. इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह व्यक्त किया है कि उसे जैसे रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। यह कहना सही है कि तहरीरी रिपोर्ट में घटना घटित होने का समय अंकित नहीं है।

25. इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत हुई उक्त साक्ष्य को उभय पक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में समग्र रूप से विवेचित एवं विश्लेषित किये जाने पर यह प्रकट रहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा इस प्रकरण के पीडित/बाल श्रमिक मनीष व राहुल को साक्ष्य सूची में नहीं रखा गया है, जबकि उक्त दोनों बाल श्रमिक इस न्यायालय के समक्ष इस घटनाक्रम के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण एवं सुदृढ़ साक्षी थे, जो अपनी सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कहानी का समर्थन कर सकते थे, किन्तु अभियोजन की ओर से दोनों बाल श्रमिकों को साक्ष्य में प्रस्तुत ही नहीं किया गया है और न ही पीडित/बाल श्रमिक मनीष व राहुल के माता-पिता को ही साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन की ओर से अन्य जिन साक्षीगण की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी गई है, उसका समग्र रूप से अवलोकन करने पर यह स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि इस प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा जिस स्थल पर पीडित बालक/बाल श्रमिक कार्य कर रहे थे, के स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज प्राप्त कर शामिल पत्रावली नहीं किये गये हैं, जिससे यह प्रकट होता हो कि तथाकथित शिव भोजनालय अभियुक्त सत्यनारायण के द्वारा ही संचालित किया जा रहा हो और उसी के द्वारा उक्त दोनों बाल श्रमिकों से बालश्रम करवाया जा रहा हो। इस सम्बन्ध में स्वयं परिवादिनी पी.डब्ल्यू-2 अनिता की साक्ष्य भी महत्वपूर्ण रही है, जिसने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति की है कि शिव भोजनालय इन्द्रगढ़ का मालिक सत्यनारायण हो, इससे सम्बन्धित दस्तावेज उसके द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्योंकि सत्यनारायण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज उसे नहीं दिया गया था। इतना ही नहीं इस साक्षी ने यह भी अपनी जानकारी में

Authenticated Document

नहीं होना बताया है कि अनुसंधान अधिकारी ने सत्यनारायण से शिव भोजनालय के मालिकाना सम्बन्धित दस्तावेज मांगे थे या नहीं। इस सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू-6 हरिराज सिंह अनुसंधान अधिकारी का भी कोई स्पष्ट अभिकथन नहीं रहा है, जिससे आरोपित अनुरूप शिव भोजनालय अभियुक्त सत्यनारायण के स्वामित्व का होना ही प्रश्नगत हो जाता है। इसके अतिरिक्त उपरोक्तानुसार प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से यह भी स्पष्ट रहा है कि घटनास्थल इन्द्रगढ़ माताजी रोड़ बाजार का रहा है तथा बताये गये घटनास्थल शिव भोजनालय के आसपास अन्य दुकानें होना भी नक्शा मौका प्रदर्श पी-6 के अनुसार दर्शाया गया है, जहां निश्चय ही लोगों की आवाजाही बनी रहना स्वाभाविक है, किन्तु उक्त घटनाक्रम के सन्दर्भ में अभियोजन की ओर से मौके के किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को साक्ष्य में नहीं रखा गया है तथा परीक्षित हुए सभी साक्षीगण पुलिसकर्मी रहे हैं। मौके पर किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा गवाह बनने से इन्कार किया गया हो, ऐसा भी कोई प्रालेखीय प्रमाण अभिलेख पर विद्यमान नहीं है। अब यदि प्रस्तुत हुए पुलिसकर्मी साक्षीगण की साक्ष्य को देखा जाये तो उनके द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में किये गये अभिवचनों से उनकी साक्ष्य भी महत्वपूर्ण एवं सारवान बिन्दुओं पर गम्भीर विरोधाभासी प्रकृति की रही है तथा अभियुक्त को आरोपित अपराधों से सम्बद्ध किये जाने के सन्दर्भ में ऐसी कोई सकारात्मक एवं सम्पुष्टिदायक साक्ष्य नहीं रही है, विशेषतः जबकि स्वयं बाल श्रमिकों के साक्ष्य में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में इन साक्षीगण की साक्ष्य की विश्वसनीयता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, किन्तु पी.डब्ल्यू-2 परिवादिनी अनिता वर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में संजय कांस्टेबल को घटनास्थल की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी के लिए भेजना कहा है, जबकि यूनिट में साथ रहे पी.डब्ल्यू-1 रामनारायण ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि प्रभारी अधिकारी ने उसे मौके पर फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी के लिए भेजा था, जबकि प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अनिता वर्मा ने उसे व मंगल कांस्टेबल को वीडियोग्राफी के लिए नहीं भेजा था तथा संजय के मोबाईल से वीडियोग्राफी की गई थी। इसी प्रकार सत्यनारायण द्वारा बालकों को राशि देते हुये नहीं देखना और बालकों के माता-पिता से उनकी और प्रभारी की कोई बातचीत नहीं होना भी कहा है। स्वयं परिवादिनी अनिता पी.डब्ल्यू.2 ने घटनास्थल के पास की दोनों दुकानों के मालिकों को गवाह नहीं बनाना तथा स्वतन्त्र गवाह बनने को तैयार नहीं होना

Authenticated Document

भी स्वीकार किया है। पी.डब्ल्यू.3 मंगल ने शिव भोजनालय का मालिक सत्यनारायण का होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज नहीं लिया जाना अभिकथित किया है और इसी प्रकार पी.डब्ल्यू.04 संजय कुमार ने घटना के समय शिव भोजनालय के मालिक के दुकान पर होने के सम्बन्ध में पता नहीं होना अभिकथित किया है। पी.डब्ल्यू.05 मनोज कुमार ने केवल आरोप पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य देते हुये प्रति-परीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि अनुसंधान अधिकारी ने दोनों नाबालिगों व उनके माता-पिता को गवाह बनाया या नहीं, यह उसकी जानकारी में नहीं है। स्वयं प्रकरण पंजीबद्ध करने वाले साक्षी बंशीलाल पी.डब्ल्यू.08 ने दी गई रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध करना तथा तहरीरी रिपोर्ट में घटना का समय अंकित नहीं होना भी स्वीकार किया है। इस प्रकार स्वयं प्रकरण के दोनों अहम साक्षीगण बाल श्रमिक मनीष एवं राहुल की साक्ष्य के अभाव में, अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षीगण की साक्ष्य किसी भी स्तर पर इस प्रकृति की नहीं रही है, जिस पर आधारित होकर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जा सके। ऐसे में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह भलीभॉति प्रमाणित नहीं हो सका है कि अभियुक्त ने दिनांक 18.03.2020 को 1:30 पी.एम. या उसके लगभग माताजी रोड़ पर स्थित उसके स्वामित्व के शिव भोजनालय में अवयस्क बालक मनीष उम्र 14-15 वर्ष व राहुल उम्र 14-15 वर्ष को खाना परोसने, ग्राहकों को बुलाने व साफ-सफाई के कार्यों में यह जानते हुए कि उक्त बालक नाबालिग है, नियोजित कर उनका शारीरिक व मानसिक रूप से शोषण कर क्रूरता कारित की एवं प्रतिदिन सुबह 7:00 ए.एम. से 9:00 पी.एम. तक तक कार्य करने के लिए 50/-रूपये प्रतिदिन मजदूरी देकर उनसे बालश्रम करवाया। पत्रावली पर ऐसी कोई निश्चायक एवं सुदृढ़ साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर अभियुक्त को उक्त अपराधों के लिए सम्बद्ध किया जा सके। इन परिस्थितियों में अभियुक्त सत्यनारायण धारा-75 व 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन दण्डनीय अपराधों के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

:: **<u>आ दे श</u>** ::

26. फलतः अभियुक्त सत्यनारायण पुत्र गोपाल निवासी छत्रपुरा

इन्द्रगढ़, थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-75 व 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

27. इस प्रकरण में अभियुक्त जमानत पर स्वतन्त्र हैं। अतः उसके न्यायालय में उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(संदीप कुमार शर्मा)
न्यायाधीश, बालक न्यायालय
(सेशन न्यायाधीश)
बून्दी (राज.)

28. निर्णय आज दिनांक 04 मई, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायाधीश, बालक न्यायालय
(सेशन न्यायाधीश)
बून्दी (राज.)

Authenticated Document

Signature Not Verified

Digitally signed by
Date: 2026.05.04 18:00:40 IST